क्रमांक एफ 5–52/2021/20–तीन
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

दिनांक 17/12/2021

कार्यालय ज्ञापन

विषयः– राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में उपलब्ध विभिन्न स्थानीय मद के उपयोग हेतु दिशा–निर्देश।

––00––

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में उपलब्ध विभिन्न स्थानीय मद के उपयोग हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किया जाता हैः–

1. बी.एड. व डी.एल.एड.मद

(अ) बी.एड. व डी.एल.एड. मद का संक्षिप्त विवरण

राज्य में बी.एड./डी.एड./एम.एड. पाठ्यक्रम संचालन के लिए शिक्षा महाविद्यालयों/संस्थाओ को NCTE से मान्यता प्राप्त करने के पूर्व राज्य शासन से NOC प्राप्त करना अनिवार्य था। छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा NOC प्रदान करने के पूर्व निरीक्षण के कार्य हेतु एस.सी. ई.आर.टी. रायपुर को अधिकृत किया गया था। इस निरीक्षण के लिए परिषद् बी.एड./एम.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने वाले शिक्षा महाविद्यालयों से प्रक्रिया शुल्क रुपये 20,000/– प्रति संस्था व डी.एड.(डी.एल.एड.) के लिए रुपये 5000/– प्रति संस्था शुल्क लेती थी। इस राशि से बी.एड./डी. एड. फण्ड प्रारंभ हुआ। सत्र 2006–07 से शासन के राजपत्र में प्रकाशित छत्तीसगढ़ बी.एड. प्रवेश नियम 2006 के अनुसार काउंसलिंग के माध्यम से बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया परिषद् द्वारा संचालित किया जाना प्रारंभ किया गया। इस काउसंलिंग के लिए प्रति छात्र रुपये 350/– की राशि काउसंलिंग प्रक्रिया में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों से लिया जाता है। इस राशि को बी.एड. फण्ड में जमा किया गया। इसी प्रकार 2008 से डी.एड. का काउंसलिंग प्रारंभ किया गया तथा काउंसलिंग राशि रुपये 300/– प्रति छात्र काउसंलिंग में शामिल अभ्यर्थियों से प्राप्त कर डी.एड. फण्ड में जमा कराया जाता है।

(ब) बी.एड. व डी.एल.एड.मद के उपयोग हेतु दिशा–निर्देश

परिषद् द्वारा बी.एड./डी.एल.एड. फण्ड का उपयोग निम्नानुसार जासकेगाः–

1. बी.एड./डी.एल.एड./एम.एड./बी.ए.बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड. पाठ्यक्रम के प्रवेश प्रक्रिया में–
   - i. आनलाइन आबंटन कार्य के लिए नियुक्त एजेन्सी का भुगतान।
   - ii. प्रकोष्ठ से संबंधित समाचार पत्रो में विज्ञापन का भुगतान
   - iii. आबंटन प्रक्रिया के लिए संसाधन जैसे– कम्प्यूटर ऑपरेटर, हार्डवेयर व स्टेशनरी पर होने वाले व्यय का भुगतान। भंडार क्रय नियमों के अंतर्गत किया जा सकेगा।
   - iv. काउसंलिंग समिति का मानदेयभुगतान में व्यय किया जा सकेगा।
   - v. यदि फेस टू फेस माध्यम की आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए आवश्यक संसाधन में होने वाले व्यय का भुगतान भंडार क्रय नियमों के अनुसार जा सकेगा।

.....2.....

2. निजी व शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों/संस्थाओ में प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधार के लिए प्रशिक्षण /पर्यवेक्षण/निरीक्षण पर होने वाले व्यय का भुगतानइस मद से किया जा सकेगा।
3. डी.एल.एड., पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यपुस्तक निर्माण व प्रशिक्षण में होने वाले व्यय का भुगतान इस मद से किया जा सकेगा।
4. डाइट के अकादमिक सदस्यों/डी.एल.एड./बी.एड. पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थाओं/महाविद्यालयके शिक्षक प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, सेमीनार व कार्यशाला के लिए आवश्यकतानुसार उपयोग किया जा सकेगा।
5. परिषद् के अधीनस्थ शासकीय संस्थाओं/महाविद्यालयों में संचालित डी.एल.एड./बी.एड./एम. एड. पाठ्यक्रम के मान्यता/सम्बद्धता से संबंधित कार्य के लिए उपयोग किया जा सकेगा।
6. परिषद् व इसके अधीनस्थ बी.टी.आई/डाइट/शिक्षा महाविद्यालयों के अधोसंरचना के मरम्मत हेतु आवश्यकतानुसार इस मद का उपयोग किया जा सकेगा परन्तु भंडार क्रय नियम व शासन के मापदण्ड का पालन करना आवश्यक होगा।
7. परिषद् व इसके अधीनस्थ संस्थाओं को आवश्यक संसाधन, अधोसंरचना एवं उपकरण/ सामग्री हेतु आवश्यकतानुसार, भंडार क्रय नियम / वित्त वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश /निर्धारित मापदण्ड अनुसार उपयोग किया जा सकेगा।
8. कोई ऐसा नवाचार जो शिक्षा के गुणवत्ता के लिए अति आवश्यक है तो ऐसे नवाचार व अनुसंधान के लिए उपयोग किया जा सकेगा।
9. एस. सी. ई. आर.टी. और अधीनस्थ संस्थाओं का राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर क्षमता विकास और एक्सपोजर विजिट हेतु व्यय किया जा सकेगा।
10. परिषद में आवश्यकतानुसार कार्यरत तकनीकी व्यक्तियों/सहायक प्रोग्रामर/प्रोग्रामर का मानदेय भुगतान किया जा सकेगा।
11. ऑनलाइन वीडियो कान्फेंस सुविधा हेतु व्यय किया जा सकेगा।
12. उपरोक्त के अतिरिक्त, संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् को वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग–1 एवं भाग–2 में उल्लेखित प्रावधानो के अंतर्गत व्यय किया जा सकेगा।

2. भवन एवं गेस्ट हाउस मद

(अ) अतिथि गृह एवं भवन का संक्षिप्त विवरण

परिषद् के अतिथि गृह/छात्रावास भवन में एस.सी.ई.आर.टी.के प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित कार्यशाला/ वर्कशॉप में उपस्थित प्रशिक्षार्थियों को ठहराने हेतु कक्ष उपलब्ध कराया जाता है। जिसका संबंधित प्रकोष्ठों से शुल्क प्राप्त किया जाता है।

i. परिषद् के अतिरिक्त अन्य विभागों द्वारा आवासीय वर्कशॉप आयोजन हेतु मांग किए जाने पर रिक्त होने की स्थिति में गेस्ट हाउस के कमरे उपलब्ध कराने पर उक्त संस्थान/विभागों से परिषद् द्वारा निर्धारित किए गए शुल्क प्राप्त किया जाता है।
ii. कमरों का शुल्क प्रतिभागियों के आवासीय प्रशिक्षण हेतु भारत सरकार के विभिन्न योजनाओं में निर्धारित दरों में से कुछ राशि भवन के अनुरक्षण हेतु लिया जाता है।

....3.....

(ब) अतिथि गृह एवं भवन मद के उपयोग हेतु दिशा–निर्देश

i. अतिथि गृह से प्राप्त होने वाले आवास शुल्क का उपयोग कक्षों हेतु पलंग, गद्दा, चादर, तकिया, पीलो कव्हर, टॉवेल एवं कम्बल क्रय, अतिथि गृह एवं परिषद् के मुख्य भवन व गार्डन हेतु इलेक्ट्रिक सामग्री, प्लम्बिंग सामग्री, कॉरपेंटर सामग्री, फर्नीचर मरम्मत आदि सामग्री क्रय एवं मजदूरों का पारिश्रमिक भुगतान किया जा सकेगा।

ii. छात्रावास के उन्नयन/फिटनेस सेंटर हेतु आवश्यक विभिन्न प्रकार के उपकरणों का क्रय किया जा सकेगा

iii. छात्रावास के संचालन हेतु विभिन्न प्रकार के आवर्ती, अनावर्ती एवं स्थापना व्यय किया जा सकेगा

iv. अतिथि गृह भवन गार्डन में कार्यरत दैनिक मजदूर एवं पार्ट टाईम इलेक्ट्रिशियन का पारिश्रमिक भुगतान किया जा सकेगा।

v. गार्डन बागवानी हेतु पेड़–पौधे, गमले, खाद्य सामग्री, कीटनाशक दवाई, गोबर आदि क्रय का देयक भुगतान किया जा सकेगा।

vi. अतिथि गृह, छात्रावास के कपड़ों की धुलाई एवं रख रखाव का देयक भुगतान किया जा सकेगा।

vii. उपरोक्त के अतिरिक्त, संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् को वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग–1 एवं भाग–2 के निहित वित्तीय अधिकारों के अंतर्गत व्यय किया जा सकेगा।

2. डाइट (बी.टी.आई) मैदानमद

(अ) डाइट (बी.टी.आई) मैदान मद का संक्षिप्त विवरण

शासन के निर्देशानुसार अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन डाइट (बी.टी.आई.) मैदान में करने हेतु संचालकम होदय से अनुमोदन प्राप्त करने उपरान्त अनुमति दी जाती है, जिस हेतु संबंधित आयोजन कर्ता से शासन द्वारा निर्धारित शुल्क लिया जाता है। राशि को मैदान फण्ड के खाता में जमा किया जाता है। उक्त खाते का संचालन, संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. छत्तीसगढ़. एवं प्राचार्य डाइट रायपुर के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाता है।

(ब) डाइट (बी.टी.आई) मै दान मद के उपयोग हेतु दिशा–निर्देश

इस मद का उपयोग निम्नानुसार उपयोग किया जा सकेगा।

1. मैदान एवं परिसर, छात्रावास की साफ–सफाई, रखर खाव, सुरक्षा एवं सौंदर्यीकरण (जैसे–बाउण्ड्रीवाल, प्रवेश द्वार एवं सी.सी.रोड निर्माण इत्यादि)
2. नगर पालिका निगम द्वारा जारी नल–जलकर के भुगतान हेतु।
3. डाइट रायपुर हेतु अन्य आवश्यकतानुसार कार्य, बच्चों के खेल उपकरण हेतु इस मद का उपयोग किया जा सकेगा।
4. डाइट रायपुर एवं संलग्न अभ्यास शाला में आवश्यकतानुसार कुछ मरम्मत एवं निर्माण कार्य के भुगतान हेतु इस मद का उपयोग किया जा सकेगा।
5. परिसर में नल–जल फिटिंग में होने वाले व्यय तथा नगर पालिका निगम के नल–जलकर के भुगतान हेतु इस मद का उपयोग किया जा सकेगा।

6. डाईट/बी.टी.आई. आवासीय परिसर की साफ–सफाई हेतु इस मद का उपयोग किया जा सकेगा।

उपरोक्त कार्यो हेतु प्राचार्य डाइट रायपुर के प्रस्ताव को परिषद् से वित्त अधिकारी के माध्यम से संचालक, एस.सी.ई.आर.टी.,छ.ग. से अनुमोदन प्राप्त कर किया जाएगा।

4. रायल्टी मद

(अ) रायल्टी मद का संक्षिप्त विवरण

(i) छ.ग. पाठ्यपुस्तक निगम गठन के पश्चात छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग डी.के. एस. भवन मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक एफ. 4.12/001/20 रायपुर दिनांक 20/05/2006 के द्वारा निर्धारित किया गया है कि जिन सामग्रियों की पाण्डुलिपि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रषिक्षण परिषद द्वारा तैयार किया जाएगा और जिसका मुद्रण प्रकाशन एवं वितरण कार्य छत्तीसगढ़. पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा किया जाएगा, निगम द्वारा ऐसी सामग्रियों के कुल मूल्य के अनुसार 15: की दर से रायल्टी की गणना कर रायल्टी का भुगतान परिषद् को किया जाएगा।

(ii) छ.ग. पाठ्यपुस्तक निगम की कार्यकारिणी समिति की बैठक क्रमांक 12वीं दिनांक 07/03/2007 में चर्चा उपरांत यह निर्णय लिया गया कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् को 5%रायल्टी की राशि दिया जाए।

(iii) पुनः कार्यकारिणी समिति की बैठक क्रमांक 28 दिनांक 29/05/2013 के अनुमोदन अनुसार शिक्षा सत्र 2013–14 से 2016–17 तक 15% दर पर रायल्टी की गणना की गई।

(iv) सचिव छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ. 23–21/2016/20–30 नया रायपुर दिनांक 25/01/2017 के द्वारा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रषिक्षण परिषद का भुगतान की जाने वाली राशि को 15% के स्थान 8% किया गया है।

(v) पाठ्य पुस्तक निगम की कार्यकारिणी बैठक 59वीं दिनांक 07/06/2019 में रायल्टी शब्द के स्थानपर "रिम्बरसमेंट ऑफ कन्टेन्ट चार्ज" शब्द का उपयोग करने हेतु अनुमोदन किया गया है।

(ब) रायल्टी मद का उपयोग हेतु शासन के निर्देश –रायल्टी मद में उपलब्ध राशि का उपयोग निम्नानुसार किया जाना शासन द्वारा निर्देशित है–

1. सामग्रियों की पाण्डुलिपि तैयार करने पर।
2. मुद्रण, प्रकशान, वितरण पर।
3. सामग्रियों की क्षेत्र परीक्षण पर।
4. शिक्षण प्रशिक्षण पर।

उपर्युक्त वर्णित कार्यों के भुगतान के बाद यदि राशि शेष होतो प्रारंभिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण में व्यय किया जा सकता है। छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय नया रायपुर दिनांक 01/07/2017 में उपर्युक्त आदेश में संशोधन कर प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा किय गया है।

...5....

(स) रायल्टी मद के उपयोग हेतु दिशा–निर्देश

शासन के निर्देश के अतिरिक्त निम्न कार्यों में रायल्टी मद की राशि का उपयोग किया जा सकेगाः–

1. पाठ्यचर्या /पाठ्यक्रम निर्माण कार्य योजना।
2. संदर्भित हेण्डबुक/अभ्यास पुस्तिका, प्रश्नबैंक, वर्कबुक इत्यादि के निर्माण /मुद्रण/वितरण में।
3. योग शिक्षा/नैतिक शिक्षा पुस्तक के निर्माण /मुद्रण/वितरण में।
4. राज्य के विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण पर व्यय।
5. शिक्षण गुणवत्ता संवर्धन हेतु विभिन्न नवाचारी गतिविधियों के संचालन में।
6. बहुभाषा अंतर्गत विभिन्न बोलियों पर पाठरचना हेतु संदर्शिका के निर्माण /मुद्रण/वितरण में।
7. NCERT से कॉपी राईट ली गई पुस्तकों पर रायल्टी राशि अदा करना।
8. स्थायी समिति की बैठकों पर व्यय।
9. Assessment के लिए आकलन सामग्री के निर्माण /मुद्रण/वितरण में।
10. Library (Physical & E-library) के लिए व्यय।
11. Digital Labs/Digital Studio के निर्माण के लिए व्यय।
12. Science Theme Park निर्माण के लिए व्यय।
13. Innovation नवाचार के लिए व्यय।
14. प्रचार–प्रसार (लघु फिल्म) के लिए व्यय।
15. मॉनिटरिंग (स्कूल डाइट) के लिए व्यय।
16. कोई ऐसा नवाचार जो शिक्षा के गुणवत्ता के लिए अति आवश्यक है तो ऐसे नवाचार व अनुसंधान के लिए उपयोग किया जा सकेगा।
17. एस. सी. ई. आर.टी. और अधीनस्थ संस्थाओं का राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर क्षमता विकास और एक्सपोजर विजिट हेतु व्यय किया जा सकेगा।
18. परिषद में आवश्यकतानुसार कार्यरत तकनीकी व्यक्तियों/सहायक प्रोग्रामर/प्रोग्रामर का मानदेय भुगतान किया जा सकेगा।
19. परिषद् व इसके अधीनस्थ संस्थाओं को आवश्यक संसाधन, अधोसंरचना एवं उपकरण/सामग्री हेतु आवश्यकतानुसार, भंडार क्रय नियम व वित्त द्वारा निर्धारित मापदण्ड/प्रक्रियाअनुसार उपयोग किया जा सकेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त आवश्यक परिस्थितियों में वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग 1 एवं 2 में उल्लेखित संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के वित्तीय अधिकार के अंतर्गत व्यय किया जा सकेगा।

(सरोज उईके)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक एफ 5–52/2021/20–तीन , अटल नगर, दिनांक 17/12/2021

प्रतिलिपिः–

1. **विशेष सहायक,** मान. मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
2. **आयुक्त,** लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. **सचिव,** छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर।
4. **संचालक,** राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर,
5. **प्रबंध संचालक**, समग्र शिक्षा, राज्य परियोजना कार्यालय, रायपुर
6. **प्रबंध संचालक,** छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम, रायपुर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

7. गार्ड फाईल।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग